संख्या–415/अड़तीस–9–11–01(लोक आ0)/2010

प्रेषक,

एन0एस0रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश ।

2–**समस्त मुख्य विकास अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 6 सितम्बर 2011

विषयः– **विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में शासनादेश संख्या–91वि0नि0/38–3–2002–500 (1)/98 टी0सी0 दिनॉक 10–4–2002 द्वारा विधायक निधि के मार्ग–दर्शी सिद्वान्त (यथा–संशोधित) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को परिचालित किये गये है। मार्गदर्शी सिद्वान्त में मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यो को अभिज्ञापित करने, उनका चयन करने, स्वीकृत करने, उनके रख–रखाव/अनुश्रवण की व्यवस्था तथा राज्य सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ समन्वय बनाये रखने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। योजना की गाइड लाइन्स स्वतः स्पष्ट है और उनमें कोई संशयात्मक स्थिति नही है, फिर भी कई जनपदों से अनावश्यक रूप से सन्दर्भ शासन को किये गये और योजना कार्यान्वयन अनावश्यक रूप से अवरूद्व रहा। यह स्थिति संतोषजनक नही है।

2– अतः इस संबंध इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के दिशा–निर्देश में दी गयी व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी मामले में मार्ग–दर्शी सिद्वान्त में दी

गयी व्यवस्था से विचलन की स्थिति पायी जाती है तो शासन द्वारा इसे अत्यन्त ही गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

5-9-2011

(एन0एस0रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/अड़तीस–9–2011 तददिनॉक

प्रतिलिपि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन [redacted] सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

05/9/2011

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

फैक्स
महत्वपूर्ण / समयबद्ध

1380
संo— /38—3—11

प्रेषक,

एन0एस0 रवि
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी , उ0प्र0
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0

ग्राम्य विकास अनु0—3 **लखनऊः दिनांक : 7 ~~अगस्त~~, 2011**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में किये गये भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालन की अध्यावधिक स्थिति उपलब्ध कराने के संबधं में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में किये गये भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के अ0शा0प0,सं0— 501/38—3—2011 दिनांक 6.4.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में जनपद स्तर पर कार्यवाही भी हुई थी, परन्तु कतिपय जनपदों में निर्माण कार्य प्रचलित होने के कारण अनुपालन की पुष्टि प्रतीक्षित रही।

2. अतः उपरोक्त के संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में माह फरवरी/मार्च 2011 में किये गये भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों में ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित बिन्दुओं / योजनाओं में पाई गई कमियों के निराकरण —अनुपालन की अद्यावधिक स्थिति आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से **विलम्बतम 15.09.2011** तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे तद्नुसार यथा स्थिति उच्च स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके। समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्यक ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय
5.9.2011

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव

सं0–1380 (1)/38–3–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

2. आयुक्त, ग्राम्य विकास को इस आशय से प्रेषित कि जनपद में संबंधित से समन्वय कर मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देशों में ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं के अंतर्गत पाई गई कमियों के निराकरण–अनुपालन की अद्यतन स्थिति जनपदवार प्राप्त कर शासन को दिनांक 16.09.2011 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

3. अपर आयुक्त, (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।

4. प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

5. संयुक्त विकास आयुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव